

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2019—श्रावण 30, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2019

क्र. एफ ए-3-31-2019-1-पाँच-(58).—आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) 61 के नियम के उपनियम 5 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 168 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि, जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी.

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए संदाय:—उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में, शास्ति ब्याज, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में, यथास्थिति, विकलन करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा.

3. यह अधिसूचना दिनांक 28 जून 2019 से प्रवृत्त हुयी मानी जाएगी.

डी. पी. आहूजा, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2019

क्र. एफ-ए-3-31-2019-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-31-2019-1-पाँच (58), दिनांक 21 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 21st August 2019

No. F A-3-31-2019-1-V-(58).—In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from July, 2019 to September, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**—Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of Section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This Notification shall deemed to have come into force with effect from 28th June 2019.

D. P. AHUJA, Commissioner of State tax.